न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस **नम्बर** 2023/509

1. महेन्द्र सिंह पुत्र झूथर, जाति अहीर, निवासी रायसराना, तहसील नीमराना, जिला कोटपूतली–बहरोड।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, नीमराना, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।
2. विजय सिंह पुत्र कबूल सिंह, जाति राजपूत, निवासी रायसराना, तहसील नीमराना, जिला कोटपूतली–बहरोड।
3. जयसिंह पुत्र कबूल सिंह, जाति राजपूत, निवासी रायसराना, तहसील नीमराना, जिला कोटपूतली–बहरोड।
4. देवेन्द्र सिंह पुत्र हरी सिंह, जाति राजपूत, निवासी रायसराना, तहसील नीमराना, जिला कोटपूतली–बहरोड।
5. दीपक सिंह पुत्र हरी सिंह, जाति राजपूत, निवासी रायसराना, तहसील नीमराना, जिला कोटपूतली–बहरोड।

– रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना (अलवर) हाल जिला कोटपूतली बहरोड दिनांक 30.12.2016 जिसके द्वारा मिन अपीलान्ट के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी खसरा नं0 853 रकबा 0.79 है0 में से 0.07 का रास्ता दिये जाने का आदेश दिया जो आदेश गलत खिलाफ मनशाये कानून होने निरस्त किये जाने योग्य है व अपील अपीलान्ट काबिल स्वीकार है व अन्य दादरसी।

उपस्थित–

1. श्री विजय सिंह राठौड, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –16.01.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना (अलवर) हाल जिला कोटपूतली बहरोड के निर्णय दिनांक 30.12.2016 के खिलाफ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मयाद अधिनियम प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि वाके ग्राम रायसराणा तहसील तहसील नीमराना जिला अलवर के आराजी खसरा नं0 807, 806, 806/1114, 989, 853, 922 में स्थित भूमि में से तहसीलदार नीमराना ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नीमराना जिला अलवर को रास्ता प्रस्ताव भेजा जिस बाबत् उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नीमराना जिला अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 30.12.2016 को उक्त खसरा नम्बर में से रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नीमराना जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 30.12.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट महेन्द्र सिंह पुत्र झूथर द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नीमराना जिला अलवर निर्णय दिनांक 30.12.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम सपठित नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1957 बाबत रिकार्ड में परिवर्तन की अनुमति के आदेश हेतु तहत न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम रायसराणा में आराजी खसरा नम्बर 807, 806, 806/1114, 889, 853, 922 में से कदीमी रास्ता चालू है। जिस रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल नहीं हो रहा है इसलिये उसका रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। जिस पर तहसीलदार, नीमराना, पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक अपने हस्ताक्षर कर अनुशंषा हेतु तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिस पर विद्वान तहत न्यायालय दिनांक 30.12.2016 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। विद्वान तहत न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.12.2016 को पारित किया गया था। जो आदेश गलत खिलाफ मन्शसाये कानून व वाक्यात होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को उक्त आदेश दिये जाने से पूर्व किसी प्रकार का कोई नोटिस व साक्ष्य व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और न ही पटवारी हल्का द्वारा मौका निरीक्षण के समय मिन अपीलान्ट को सूचना नहीं दी गयी और केवल मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। चूंकि मिन अपीलान्ट भारतीय सेना में कार्यरत है और अ बवह छुट्टियों में रायसराना आया तो पटवारी हल्का ने दिनांक 26.10.2023 को बताया कि मिन अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 853 में से 7 ऐयर का रास्ता दिया गया है। जिसका इन्द्राज भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। मिन अपीलान्ट का इस आदेश की व तहसीलदार नीमराना के कार्यालय के नकल प्राप्त की जो नकल 8.11.2023 को प्राप्त हुई। नकलें लेकर वकील साहिबान से सलह महश्विरा किया। जिन्होनें अपील करने की सलाह दी। इसलिये आदेश दिनांक 30.12.2016 से अपील प्रस्तुत करने की दिनांक तक का समय मुजरा दिया जाने की अपील अन्दर मियाद पेश है। मिन अपीलान्ट के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 853 रकबा 0.79 के गत खसरा नम्बर 328 मिन थे। खसरा नम्बर 328 व हाल खसरा नम्बर 553 में कभी कोई रास्ता नहीं रहा। ना तो कभी पगडंडी के रूप में कोई रास्ता था और ना ही बारह माह की सार्वजनिक आम रास्ता नहीं रहा। इसके बावजूद भी विद्वान तहत न्यायालय ने मिन अपीलान्ट की आराजी में से रास्ता कायम करने की अहम कानूनी गलती की है। मिन अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 328 बीघा 15 बिस्वा में से 2/3 हिस्सा जगमाल सिंह पुत्र गाहड सिंह जाति राजपूत, निवासी रायसराना, तहसील बहरोड से 09.05.1977 को जरिये बैयनामा खरीद किया गया था और तब से आज तक मिन अपीलान्ट उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। वक्त खरीद से आज तक उक्त आराजी में कभी कोई रास्ता न तो पगडंडी के रूप में ना ही सार्वजनिक आम रास्ते के रूप में नहीं रहा। गत खसरा नम्बर 328 के हाल खसरा नम्बर

समभागीय आयुक्त जयपुर

853 बनाये गये हैं। जिस हाल खसरा नम्बर में भी कभी कोई रास्ता नहीं रहा है लेकिन तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया, जबकि वास्तविकता इस प्रकार है कि दिनांक 01.11.2017 को मिन अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के बीचे में एक समझौता पत्र तहरीर किया गया था। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 को अपनी आराजी में जाने हेतु मिन खसरा नम्बर 853 रकबा 0.79 है0 में से 1.56 फुट लम्बा व 15 फुट चौडा आने जाने के लिये रास्ता दिया गया था। जो खसरा नम्बरा 853 की तरफ पूर्व में दिया गया था और ठीक इसी प्रकार मिन अपीलान्ट के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 918 में से लगती हुई रेस्पोडेन्ट की आराजी खसरा नम्बर 855 रकबा 0.62 है0 रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 04 की है। जिस आराजी में से मिन अपीलान्ट को 117 फुट लम्बा व 20 फुट चौडा रास्ता मिन अपीलान्ट की आराजी में आने–जाने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 हेतु दिया गया था। जिस पर दोनों पक्षों में अपने हस्ताक्षर व फोटो भी चस्पा की गयी है। लेकिन तहत न्यायालय ने आदेश देने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की और अपीलाधीन आदेश पारित करने में अहम कानूनी गलती की है। अतः अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नीमराना जिला अलवर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2016 को निरस्त फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार नीमराना जिला अलवर ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर रायसराणा से कबूल सिंह की ढाणी को जाने वाला रास्ता कदीमी, स्थायी, बारहमासी (ऐसे रास्ते जो मौसम व ऋतु परिवर्तन के आधार पर बदलते नहीं है) सार्वजनिक रास्ता/आम रास्ता जो निर्बाध रूप से प्रचलित नक्शे में डोटेड दर्ज बारहामासी, सार्वजनिक आम रास्तों के राजस्व रिकार्ड में नक्शे अंकन, आदिनांकन, परिवर्तन व तरमीम किये जाने निवेदन किया गया है। यह रास्ता खसरा नम्बर 807, 806, 806/114, 989, 853, 922 तक जाता है। जिसकी खसरा नम्बरवार पृथक से बटा नम्बर बनाया जाकर सिवायचक गै.मु. रास्ता एवं खातेदार की खातेदारी में गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किया जाना है। मौके की जॉच पश्चात् एवं पटवारी हल्का व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नीमराना जिला अलवर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश व पत्रादि के अवलोकन से जाहिर होता है कि उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नीमराना जिला अलवर द्वारा अपीलाधीन आदेश 30.12.2016 पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नीमराना जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 30.12.2016 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 20.12.2023 को अपील लगभग 7 वर्ष प्रस्तुत की गयी है। अपीलान्ट का यह कथन है कि मिन अपीलान्ट भारतीय सेना में कार्यरत है और अब वह छुट्टियों में रायसराना आया तो पटवारी हल्का ने दिनांक 26.10.2023 को बताया मिन अपीलान्ट की आराजी खससरा नंबर 853 में से 7 एयर का

समागीब आयुक्त जयपुर

रास्ता दिया गया है। मिन अपीलान्ट को इस आदेश की व तहसीलदार नीमराना के कार्यालय से नकल प्राप्त की जो नकल दिनांक 08.1.12023 को प्राप्त हुई। वकील अपीलान्ट का यह कथन उचित प्रतीत नही होता है कि उसे उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नीमराना जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 30.12.2016 की जानकारी नहीं थी। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में 7 वर्ष विलम्ब का कोई ठोस कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। जिसके कारण अपील करने में हुये 7 वर्ष के विलम्ब को कन्डोन किया जा सके। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नीमराना जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.12.2016 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर